न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2019 (निगरानी)
जी.सी.एम.एस. नं. – 2019/000203

उनवान

1. पुष्पेन्द्र गोतम पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गोतम जाति ब्राहाण
2. लालचन्द पुत्र मोतीलाल जाति प्रजापति
3. मुरलीधर नागर पुत्र धन्नालाल जाति धाकड
4. रियाज अहमद पुत्र निसार अहमद जाति नीलगर
5. जसवन्त सिह उर्फ मोनू आत्मज मुकुट बिहारी जाति मीणा
6. अनिल मेरोंठा आत्मज भीमराज मेरोठा जाति धोबी निवासीगण बपावरकलां,तहसील सांगोद,जिला कोटा।

(निगराकार)

बनाम

1. किशनचन्द गुप्ता पुत्र बंशीलाल जाति महाजन निवासी बपावरकलां जिला कोटा। सरपंच ग्राम पंचायत बपावरकलां ।
2. अध्यक्ष अग्रवाल समाज बपावरकलां तहसील सांगोद,जिला कोटा।

(गैरनिगराकार)

उपस्थित :– अभिभाषक श्री मेधराज सिह शक्तावत (निगराकार)
अभिभाषक श्री विनित अग्रवाल (गैर निगराकार)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट

निर्णय दिनांकः– 29/4/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आदेश जैर निगरानी योग्य ग्राम पंचायत बपावरकलां द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.12.2004 की सर्वथा प्रार्थीगण को जानकारी न्यायालयो में चल रहे प्रकरणों से तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कंवरलाल द्वारा बताये जाने पर इसं बात की जानकारी हुई की वर्तमान सरपंच ने गलत तरीके से सर्वसमाज की भूमि को निशुल्क पट्टा जारी कर दिया है, जिस पर पट्टे की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी नकल दिनांक 3.5.2007 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त कर सभी प्रार्थीगणों द्वारा सलाह करके निगरानी पेश की है जो उपरोक्त सभी कारणों से निगरानी पेश करने में हुई डिले का कन्डोन की जाने से अवधि मध्य पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त सभी कारणों से निगरानी अवधि मध्य माने जाने का ओदश प्रदान करे। वकील निगराकार द्वारा लिमिटेशन एक्ट

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

की धारा 5 के प्रार्थना पत्र की बहस में कथन किया कि, निगराकार को ग्राम पंचायत बपावरकलां द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.12.2004 की सर्वथा प्रार्थीगण को जानकारी न्यायालयो में चल रहे प्रकरणों से तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कंवरलाल द्वारा बताये जाने पर इस बात की जानकारी हुई, कि वर्तमान सरपंच ने गलत तरीके से सर्वसमाज की भूमि का निशुल्क पट्टा जारी कर दिया है पर हुई है। जिस पर पट्टे नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी नकल दिनांक 3.5.2007 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त कर सभी प्रार्थीगणों द्वारा सलाह करके निगरानी पेश की है जो उपरोक्त सभी कारणों से निगरानी पेश करने में हुई डिले का कन्डोन की जाने से अवधि मध्य पेश है।

वकील गैरनिगराकार ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र की बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने स्वंय अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की जानकारी सर्वप्रथम पट्टा नकल दिनांक 3.05.2007 को प्राप्त करने पर हुई है,जबकि वकील निगराकार द्वारा उक्त निगरानी न्यायालय में दिनांक 21.02.2019 को 12 वर्ष 7 माह 18 दिन विलम्ब से पेश हुई है। अतः निवेदन है कि निगरानी अवधि मध्य पेश नही होने से प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें। वकील गेर निगराकार द्वारा अपनी बहस के समर्थन एवं मियाद के बिन्दु के संबध में न्यायिक निर्णय 2025 (3) **Civil Court cases 618 [s.c] Thirunagalingam V/s Lingeswaram & Anr.** प्रस्तुत किया है।

हमने उभयपक्ष की मियाद का बिन्दु निर्धारण करने के संबध मे बहस पर मनन किया,पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निगरानी ग्राम पंचायत बपावरकला द्वारा दिनांक 20.12.2004 को जारी पट्टे की अप्रसन्ता में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 13.05.2019 को प्रस्तुत की है जो 12 वर्ष 7 माह 18 दिन विलम्ब से पेश की है। विलम्ब के शमन के धारा 05 के प्रार्थना पत्र में वकील निगराकार द्वारा सर्वथा प्रार्थीगण को जानकारी न्यायालयो में चल रहे प्रकरणों से तथा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कंवरलाल द्वारा बताये जाने पर इस बात की जानकारी हुई की वर्तमान सरपंच ने गलत तरीके से सर्वसमाज की भूमि को निशुल्क पट्टा जारी कर दिया है,यहा यह भी उल्लेखनीय है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ प्रस्तुत शपथ व निगरानी में नकल दिनांक 3.05.2007 को नकल प्राप्त करना अंकित किया है। प्रस्तुत निगरानी निगराकार की जानकारी में आने के बाद भी 12 वर्ष 7 माह 18 दिन के विलम्ब से पेश हुई है। वकील निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में उक्त अवधि को कन्डोन किये जाने के संबध बताये गये कारण ठोस एवं उचित आधार नही है।

परिणामतः प्रस्तुत निगरानी 12 वर्ष 7 माह 18 दिन विलम्ब से पेश की है जबकि निगराकार को ग्राम पंचायत बपावरकला द्वारा जारी पट्टे की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 3.05.2007 को स्वंय निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट एवं शपथ पत्र में अंकित किया है। इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन किया जाने के पर्याप्त एवं ठोस आधार नही है यदि इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन किया जाता है तो लिमिटेशन के कानून का कोई ओचित्य नही है।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

अतः लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत निगरानी निगराकार मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती हैं

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 29/4/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह रावत)
अति. जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

मुद्रा